न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 53/2022

बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा जिला दौसा राजस्थान जरिये श्री संजय गर्ग, प्राधिकृत अधिकारी

...... प्रार्थी

बनाम

1. मै0 माया एजेन्सी जरिये प्रो0 अमन खण्डेलवाल, न्यू मण्डी रोड, श्याम मंदिर के पास, दौसा राज0

(ऋणी)

2. श्री अमन खण्डेलवाल पुत्र श्री छगन लाल खण्डेलवाल, श्याम मंदिर के पास, दौसा राज0

(प्रोपराइटर एवं गारंटर)

3. श्रीमती माया देवी गुप्ता छगन लाल खण्डेलवाल, श्याम मंदिर के पास, दौसा राज0

(गारन्टर)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री दिपेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश   दिनांकः 06.07.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को 45,00,000/–(रूपये पैंतालीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:20 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्रीमती माया देवी गुप्ता पत्नि श्री छगन लाल गुप्ता की आवासीय संपत्ति जो प्लॉट नंबर जे–525, निधिवन नगर, न्यू मण्डी रोड, दौसा राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका बिल्टअप एरिया 288.00 वर्गगज है जो कि पुलिस थाना कोतवाली दौसा के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:20 IST
Reason: SelfAttested